संख्याः 1864/III(1)/17–01(शिकायत)/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

विषयः–विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरणों में आरोप–पत्र तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यों में अनियमितताऐं प्रकाश में आने पर सम्बन्धित अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जो भी आरोप–पत्र तैयार किये जाते हैं, उनके सन्दर्भ में यह संज्ञान में आया है कि प्रश्नगत आरोप पत्र विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर क्वालिटी कन्ट्रोल के अधिकारियों से अथवा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय स्तर से तैयार न कराकर सम्बन्धित खण्ड अथवा वृत्त, जहां पर अनियमितताऐं हुई हैं, के स्तर से ही आरोप–पत्र तैयार करवाकर शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इससे सम्बन्धित खण्ड/वृत्त के अधिकारियों की असंलिप्तता के दृष्टिगत उनके द्वारा अनियमितता से सम्बन्धित समुचित तथ्य/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते, जिसके कारण अपचारी कार्मिकों को दोषमुक्त होने का अवसर प्राप्त होने की सम्भावना रहती है। यह स्थिति शासकीय कार्य प्रणाली में शिथिलता का द्योतक तथा अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में विभिन्न योजनाओं/कार्यों में अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध आरोप–पत्र क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के स्तर से वांछित अभिलेखों तथा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त तैयार कराकर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में इसकी पूर्णरूप से परीक्षण करने के उपरान्त ठोस आरोप–पत्र मय साक्ष्यों सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि आरोप–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त बाद में पुनः कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है, तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं/उच्चाधिकारियों/प्रमुख अभियन्ता कार्यालय की होगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव